न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस)**

प्रकरण संख्याः–23/22 दायर दिनांकः– 22.03.2022

1. कमले पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. राजू पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. कल्यान पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. बालसिंह पुत्र श्री स्व0 पन्नी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. गिरगोली पुत्र श्री स्व0 पन्नी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. डालू पुत्र श्री खूबी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. मंगती पुत्र श्री प्रभू जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5. राधा पुत्री श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6. भगवन्ती पुत्री श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7. गौमा बेबा श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
8. समय सिंह पुत्र श्री मौहरसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
9. बत्तो पुत्री श्री किशनलाल जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बावत् निरस्त किए जाने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री ओ. पी. व्यास ....प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र चौधरी अप्रार्थीगण 5 व 6 अधिवक्ता

<u>निर्णय–दिनांक 14.09.2022</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 के तहत दिनांक 22.03.22 पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 में प्रार्थना–पत्र बावत् निरस्त(खारिज) किए जाने प्रा0 पत्र 212 आर0 टी0 ए0 अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा पेश किया गया तथा दूसरा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 गिरगोली दत्तक पुत्र तुरसी जाति गुर्जर निवासी सुहारी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि उक्त उनवान का दावा अदालत हाजा में विचाराधीन ही नहीं है तो उनवानी प्रार्थना–पत्र का अदालत हाजा में विचाराधीन रहना कानूनी प्रक्रिया से बाहर है बिना वाद के प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 ए0 चलने योग्य नहीं है प्रार्थीगण द्वारा असत्य तथ्यों पर आधारित प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश भी प्राप्त कर किया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र दायर करने से पूर्व ही प्रविवादी गैर–सायला संख्या 7 गोमा बेबा मोहन का स्वर्गवास दिनांक 26.05.2016 को हो चुका है इस प्रकार वादीगण द्वारा मृतक के विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–23 / 22 दायर दिनांक:– 22.03.2022

1. कमले पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. राजू पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. कल्यान पुत्र श्री स्व0 मनोहरी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. बालसिंह पुत्र श्री स्व0 पन्नी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. गिरगोली पुत्र श्री स्व0 पन्नी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. डालू पुत्र श्री खूबी जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. मंगती पुत्र श्री प्रभू जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5. राधा पुत्री श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6. भगवन्ती पुत्री श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7. गौमा बेबा श्री मोहन जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
8. समय सिंह पुत्र श्री मौहरसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर
9. बत्तो पुत्री श्री किशनलाल जाति गूजर निवासी ग्राम सुहारी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बावत् निरस्त किए जाने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री ओ. पी. व्यास ....प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र चौधरी अप्रार्थीगण 5 व 6 अधिवक्ता

<u>निर्णय–दिनांक 14.09.2022</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 के तहत दिनांक 22.03.22 पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 में प्रार्थना–पत्र बावत् निरस्त(खारिज) किए जाने प्रा0 पत्र 212 आर0 टी0 ए0 अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा पेश किया गया तथा दूसरा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 गिरगोली दत्तक पुत्र तुरसी जाति गुर्जर निवासी सुहारी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि उक्त उनवान का दावा अदालत हाजा में विचाराधीन ही नहीं है तो उनवानी प्रार्थना–पत्र का अदालत हाजा में विचाराधीन रहना कानूनी प्रक्रिया से बाहर है बिना वाद के प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 ए0 चलने योग्य नहीं है प्रार्थीगण द्वारा असत्य तथ्यों पर आधारित प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश भी प्राप्त कर किया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र दायर करने से पूर्व ही प्रविवादी गैर–सायला संख्या 7 गोमा बेबा मोहन का स्वर्गवास दिनांक 26.05.2016 को हो चुका है इस प्रकार वादीगण द्वारा मृतक के विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उक्त प्रार्थना–पत्र दायर करने से पूर्व ही प्रविवादी गैर–सायला संख्या 7 गोमा बेबा मोहन का स्वर्गवास दिनांक 26.05.2016 को हो चुका है इस प्रकार वादीगण द्वारा मृतक के विरूद्ध कानूनी प्रकिया के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र दायर किया गया है जो शुरू से ही शून्य है ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 शून्य होने के कारण खारिज योग्य है।

अप्रार्थी गिरगोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी सायलान के द्वारा प्रस्तुत मुकदमे के द्वारा प्रार्थना–पत्र के खण्ड एक में दर्शित किया गया है कि वादीगण द्वारा दावा पेश कर दिया गया है जबकि उपरोक्त उनवानी मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश नहीं हुआ है।जब दावा ही पेश नहीं किया गया है तो प्रार्थना–पत्र बिना बुनियाद के खडा जो खारिज काबिल है। वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान में दावा हुकमसिंह बनाम बालसिंह बगै. में वादीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिसमें स्थगन आदेश जारी नहीं करने से त्रस्त वादीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अदालत में झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना–पत्र कमले बनाम बालसिंह बगै. का मय हर्जा काबिले खारिज है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बावत् खारिज किए जाने व सिलसिले प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 की नकल प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री ओ.पी. व्यास को दिलाई गई उक्त दोंनों प्रार्थना–पत्र का जवाब कमले द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के द्वारा अप्रार्थीगण के दोनों प्रार्थना–पत्रों बाबत् खारिज किए जाने प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 के प्रत्येक बिंदू को अस्वीकार किया गया है तथा अवगत कराया उपरोक्त प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर एवं मुकदमा को देरीना करने की वजह से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अदालत हाजा द्वारा जारी स्थगन को निरस्त करना चाहते हैं तथा मृतक गोमा के वैधिक वारिसान में प्रविवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी सं. 6 उसकी पुत्रीया पूर्व से वाद में पक्षकार है इसलिए शुरू से शून्य होने का प्रश्न पैदा नहीं है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बावत् खारिज किए जाने प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 खारिज फरमाये जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 कमले बनाम बालसिंह बगै0 तथा दावा व प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 हुकमसिंह बनाम बालसिंह का अवलोकन किया गया तो पाया कि न्यायालय हाजा में पूर्व से विचाराधीन दावा व प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 वादीगण हुकमसिंह बगै. द्वारा पेश किया जा चुका था उक्त दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वादीगण को स्थगन जारी नहीं किया गया तो उन्होंने मुकदमा के शीर्षक बदलकर दूसरा प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 कमले बनाम बालसिंह के शीर्षक से प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई तथा किसी प्रकार का इसके समान उनवान (शीर्षक) का इसके साथ–साथ कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि उक्त मुकदमात की आराजीयात समान है।

इस प्रकार बिना समान उनवानी वाद के अस्थाई प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण सं0 5 राधा, सं0 6 भगवन्ती तथा अप्रार्थी सं02 गिरगोली स्वीकार किए जाते हैं। तथा दिनांक 22.03.22 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 आर0 टी0 ए0 प्रकरण संख्या 23/22 उनवान कमले बनाम बालसिंह बगै0 खारिज किया जाता है। तथा पूर्व जारी स्थगन न्यायालय हाजा दिनांक 22.3.22 व 24.03.22 इसी स्तर पर निरस्त किए जाते

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)